न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अम्बेडकर नगर
पीठासीनः भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता (H.J.S)
JO Code: UP 1874
CNR:UPAN010013642014
सत्र परीक्षण संख्या :–31/2014 कम्प्यूटर नम्बर 31/2014

सरकार——————————————————————अभियोजन

बनाम

1. अनिल यादव आयु लगभग 36 वर्ष पुत्र लालदेव यादव
2. रामअवध यादव आयु लगभग 68 वर्ष पुत्र स्व0 शिवसरन
3. श्रवण कुमार यादव आयु लगभग 53 वर्ष पुत्र स्व0 शिवसरन
4. राजेश कुमार यादव आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र रामचरन यादव

——————————अभियुक्तगण

मु0अ0सं0 संख्याः—118/2012
धारा—323/34,325/34,352,504,506
भा0दं0सं0 व धारा 3(1)x एस.सी.एस.टी. एक्ट
थाना—राजेसुल्तानपुर
जनपद—अम्बेडकर नगर

निर्णय

1. अभियुक्तगण अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव का विचारण उपर्युक्त विशेष सत्र परीक्षण वाद में थाना—राजेसुल्तानपुर, जनपद—अम्बेडकर नगर की पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप—पत्र मुकदमा अपराध संख्या—118/2012, अन्तर्गत धारा—323,325,352,504 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)x एस.सी.एस.टी. एक्ट के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा परशुराम उर्फ सिंटू पुत्र भैरव प्रसाद, निवासी ग्राम मुडियारी, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर लिखित तहरीर जिसपर प्रदर्श क—1 अंकित है, के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गई कि प्रार्थी के घर पर दिनांक 11.06.2012 को शादी का कार्यक्रम चल रहा था। रात करीब 08:00 बजे अनिल यादव, लालदेव यादव, राजेश यादव पुत्र रामचरन यादव, श्रवण यादव व रामअवध यादव पुत्रगण शिवचरन यादव, निवासी ग्राम मुडियारी अचानक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार झारखण्डे पुत्र रामराज उपजाति (चमार) को लाठी डण्डे से लैस होकर उसपर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। इसी बीच झारखण्डे की आवाज सुनकर मौके पर उपस्थित अजय पुत्र धनराज, सुनील पुत्र लालचन्द्र, कुवारी कंचना पुत्री धनराज छुड़ाने

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.07 17:49:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पहुंची। विपक्षी फितरती एवं गोलबन्दी करके आये और (चमार) शब्द की गाली देते हुये मारने लगे। प्रार्थी, अरूण, फिरतू, अमर, कन्हैया, सरजू आदि के पैर में चोट लगी है। किसी का सिर फूटा है। सभी को गंभीर चोटें आयी हैं। इसी दौरान गांव के कुछ और लोगों के आ जाने के कारण विपक्षीगण हाथ में असलहा लहराते हुये धमकी देकर गाली देते हुये भाग गये। प्रार्थी हैरान व परेशान है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि रिपोर्ट दर्ज करते हुये समस्याओं को ध्यान में रखते हुये अविलम्ब विपक्षी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

3. वादी की उपर्युक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर पर दिनांक 12.06.2012 को समय लगभग 10:10 बजे मु0अ0सं0 संख्या 118/2012, धारा–323,352,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)X एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत अभियुक्तगण अनिल यादव, राजेश यादव, श्रवण यादव व रामअवध यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गई। दौरान विवेचना, विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया तथा तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव के विरूद्ध मु0अ0सं0 118/2012 के अन्तर्गत आरोप–पत्र धारा–323,325,352,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)X एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला यह अभिकथित करते हुये कि यह प्रकरण सत्र न्यायालय परीक्षणीय है, तद्नुसार उक्त प्रकरण को दिनांक 06.03.2014 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

6. अभियुक्तगण सत्र न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 30.09. 2014 को तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर द्वारा धारा–323/34,325/34, 504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)X एस.सी.एस.टी. एक्ट का आरोप सृजित किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2026 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 352 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 अरूण कुमार, पी.डब्लू. 2 झारखण्डे, पी.डब्लू. 3 वादी मुकदमा परशुराम, पी. डब्लू. 4 उपेन्द्र कुमार उर्फ अमर, पी.डब्लू.5 सुनील कुमार, पी.डब्लू. 6 कन्हैया उर्फ विपुल, पी.डब्लू. 7 डॉ0 पी.एन. यादव, पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव, पी.डब्लू. 9 अजय, पी.डब्लू. 10 कंचन तथा पी.डब्लू.11 के रूप में दीप नारायण आर्य को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किये गए हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के सुसंगत साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है।

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र	अभियोजन साक्षीगण
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर	पी.डब्लू. 3 वादी परशुराम
2.	प्रदर्श क–2	मजरूब अनिल यादव की एक्सरे रिपोर्ट	पी.डब्लू. 7 डॉ0 पी.एन. यादव
3.	प्रदर्श क–3	आहत आख्या झारखण्डे	पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव
4.	प्रदर्श क–4	आहत आख्या सरजू	पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव
5.	प्रदर्श क–5	आहत आख्या फिरतू	पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव
6.	प्रदर्श क–6	आहत आख्या सुनील	पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव
7.	प्रदर्श क–7	आहत आख्या कन्हैया	पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव
8.	प्रदर्श क–8	आहत आख्या अरूण कुमार	पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव
9.	प्रदर्श क–9	आहत आख्या अमर	पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव
10.	प्रदर्श क–10	आहत आख्या कंचन	पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव
11.	प्रदर्श क–11	आहत आख्या अजय	पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव
12.	प्रदर्श क–12	चिक एफ.आइ.आर.	पी.डब्लू. 11 दीप नारायण आर्य
13	प्रदर्श क–13	कायमी जी0डी0	पी.डब्लू. 11 दीप नारायण आर्य
14.	प्रदर्श क–14	नक्शा नजरी घटना स्थल	पी.डब्लू. 11 दीप नारायण आर्य
15.	प्रदर्श क–15	आरोप–पत्र	पी.डब्लू. 11 दीप नारायण आर्य

<u>अभियोजन पक्ष मुख्यपरीक्षा साक्ष्य</u>

9. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 1 अरूण कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं जाति का चमार हूं। घटना दिनांक 11.06.2012 की है। रात 08:00 बजे का समय था। परशुराम की शादी थी। मैं व झारखण्डे परशुराम के यहां निमंत्रण में गये थे। हल्दी की रस्म चल रही थी। उसके बाद अनिल यादव आये और झारखण्डे को बुलाकर बगल में मड़हा के पास ले गये। वहां पर अनिल, रमेश, श्रवण यादव, रामअवध लाठी डण्डा, लात मूका से झारखण्डे को मारने लगे तथा कहे कि चमार साले मादरचोद बुलाने पर सुन नहीं रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात है। मारने पर झारखण्डे चिल्लाये। शोर सुनकर मैं, अरूण, अमर, अजय, विपुल कुमार, सुनील, रामअचल, सरजू, कंचन आदि लोग पहुंचे। मुल्जिमान सभी लोगों को लाठी डण्डे से मारा पीटा। मुल्जिमान के मारने से मुझे, अजय, झारखण्डे, कंचन, अमर उर्फ उपेन्द्र, सुनील, रामअचल, सरजू प्रसाद, विपुल को चोटें आयी। मुल्जिमान धमकी दिये कि अगर थाने गये तो गोली मार देंगे। मुल्जिमान जाति के यादव हैं। रात में थाने गये थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दरोगा जी कहे कि सुबह आओ, सुबह रिपोर्ट लिखी जायेगी। सुबह थाना राजेसुल्तानपुर में परशुराम ने तहरीर देकर रिपोर्ट लिखायी। पुलिस ने सभी चोटहिलों का डॉक्टरी मुआयना जहांगीरगंज सी0एच0सी0 में कराया था। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था। डॉक्टर ने अजय को दाहिने हाथ का एक्सरे कराने हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हथेली की हड्डी टूटी थी।''

10. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 2 झारखण्डे ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** ''मैं जाति का चमार हूं। घटना दिनांक 11.06.2012 की है। 08:00–09:00 बजे रात का समय था। परशुराम के घर परशुराम की शादी थी। हम लोग हरिक गाड़ने की तैयार में लगे थे। अनिल यादव मुझे बुलाकर ले गये। मुझसे कहे कि कुछ काम है, सुन लो। मैं चला गया तो परशुराम के घर के उत्तर मड़हे की आड़ में मुझे लाठी डण्डे से मारने लगे। मेरे शोर पर मेरे भाई अरूण, अजय, उपेन्द्र, कन्हैया, सरजू, रामअचल, कंचन दौड़कर आये और मुल्जिमान के घर के रामअवध, राकेश, व श्रवण कुमार आ गये और लाठी डण्डा से हम लोगों को मारने लगे। हम लोग निहत्थे थे। मुझे जो बचाने आये थे, मुल्जिमान ने उन्हें भी मारा पीटा। मुझे केवल हल्ला सुनायी दे रहा था। मुल्जिमानों के मारने से मुझे, सरजू, फिरतू, सुनील, कन्हैया, अरूण कुमार उर्फ पप्पू, अमर, कंचन व अजय को चोटें आयी। हम लोगों के शोर पर तमाम लोग आ गये तब मुल्जिमान चमार सियार मादरचोद कहते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। घटना के बाद हम लोग थाना राजेसुल्तानपुर आये। थाना राजेसुल्तानपुर की पुलिस ने हम लोगों की चोटों का डॉक्टरी मुआयना जहांगीरगंज सरकारी अस्पताल में कराया। मुल्जिमानों के मारने से अजय कुमार के दाहिने हाथ का अंगूठा टूट गया था। मुल्जिमान जाति का यादव हैं। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।''

11. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 3 वादी मुकदमा परशुराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** ''मैं जाति का चमार हूं। घटना दिनांक 11.06.2012 की है। शाम 8:00–8:30 बजे का समय था। मेरी शादी थी। प्रोग्राम चल रहा था। झारखण्डे के शोर पर मैं, अरूण, उपेन्द्र, सरजू प्रसाद, फिरतू, सुनील, कंचन, कन्हैया, अमर, अजय आदि लोग पहुंचे। उधर से अनिल, रामअवध, श्रवण, राजेश आ गये। सभी मुल्जिमान मिलकर हम लोगों को मारना शुरू कर दिये। मुल्जिमानों के मारने से मुझे, झारखण्डे, सरजू, फिरतू, सुनील, कन्हैया, अरूण उर्फ पप्पू, अमर व कंचन को चोटें आयी। मुल्जिमान मादचोद, बहनचोद, चमरकुट्टी की गाली दे रहे थे। जब हम लोग पहुंचे तो अनिल, झारखण्डे को मार रहे थे। हम सब लोग छुड़ाने लगे तब सभी मुल्जिमान ने मिलकर हम लोगों को लाठी डण्डा से मारा पीटा। हमारे यहां शादी का कार्यक्रम था, जनरेटर चल रहा था। उसी के प्रकाश में पहचाने थे। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये, जान से मारने के लिये घर तक दौड़ाये। विजय प्रकाश से मैंने बोलकर तहरीर लिखायी थी। तहरीर मैंने घ टना के दूसरे दिन सुबह थाना राजेसुल्तानपुर में देकर रिपोर्ट दर्ज कराया था। तहरीर पर मेरा हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। रिपोर्ट लिखाने मैं सभी चोटहिलों को साथ लेकर गया था। सभी चोटहिलों का डॉक्टरी मुआयना पुलिस द्वारा जहांगीगंज सरकारी अस्पताल में कराया गया था। मुल्जिमान के मारने से अजय का दाहिने हाथ का अंगूठा टूट गया था। अजय के दाहिने हाथ के अंगूठे का एक्सरे जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ था। मुल्जिमान जाति के यादव है, मेरे गांव के हैं। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया था।''

12. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 4 उपेन्द्र उर्फ अमर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ**

कथन किया है कि ''मैं चमार जाति का हूं। घटना दिनांक 11.06.2012 की है। शाम आठ–साढ़े आठ बजे का समय था। मेरी मौसी के लड़के परशुराम की शादी थी। हल्दी की रस्म चल रही थी। उसी समय अनिल यादव आये और झारखण्डे को बुलाकर ले गये। झारखण्डे के शोर पर हम लोग पहुंचे तो देखा कि झारखण्डे का सिर फटा था। अनिल, लखन, राजेश, लालदेव, रामअवध लाठी डण्डा से अनिल को मार रहे थे। मैं, अरूण, अजय, कन्हैया, झारखण्डे, सरजू, सुनील, फिरतू, कंचन बीच बचाव करने पहुंचे तो मुल्जिमान ने हम लोगों को भी लाठी डण्डा से मारा पीटा। मारते समय मुल्जिमान भोसड़ी, चमार साले, मादरचोद की गाली दे रहे थे। जब हम लोग जान बचाकर घर की तरफ भागे तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये हम लोगों को दौड़ा लिये। उस समय जनरेटर की लाइट में मुल्जिमान को जाना पहचाना। घटना के बाद सुबह हम लोग थाना राजेसुल्तानपुर गये। परशुराम ने थाने में रिपोर्ट लिखायी। हम लोगों की चोटों का डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में हुआ था। अजय के दाहिने हाथ का अंगूठा टूटा गया था। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया था।''

13. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 5 सुनील कुमार ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** ''मैं जाति का चमार हूं। घटना दिनांक 11.06.2012 की है। रात 08:00 बजे का समय था। मैं परशुराम के घर उस समय मौजूद था। परशुराम के यहां शादी के सिलसिले में बांस हरिश गाड़ने का प्रोग्राम था। उस समय उनके यहां मेरी बिरादरी व परिवार के काफी लोग इकट्ठा थे। अनिल यादव, झारखण्डे को बुलाकार बाग में मड़ई के पास ले गये। थोड़ी देर बाद झारखण्डे के चिल्लाने की आवाज आयी तो मैं, उपेन्द्र, सरजू, अजय, कंचन, पप्पू, रामअचल उर्फ फिरतू, कन्हैया उर्फ विपुल आदि लोग पहुंचे। हम लोगों ने देखा कि झारखण्डे को अनिल, रमेश यादव, राजेश, रामअवध और श्रवण लाठी डण्डा से मार रहे थे और गाली दे रहे थे कि चमार कुट्टी की जात साले मादरचोद इस समय सपा की सरकार है कुछ नहीं होगा। हम लोग बीच बचाव करने लगे तो सभी मुल्जिमान ने मुझे, अजय, कंचन, अरूण कुमार उर्फ पप्पू, अमर, कन्हैया, सरजू, फिरतू को भी लाठी डण्डा से मारा पीटा। मुल्जिमानों के मारने पीटने से हम सभी को चोटें आयी और अजय का दाहिने हाथ का अंगूठा टूट गया। हम लोगों के शोर पर परशुराम बीच बचाव करने पहुंचे तो मुल्जिमान परशुराम को भी चमार सियार की गाली देते हुये मारने के लिये दौड़ा लिये। गांव के बहुत लोग आ गये थे तब मुल्जिमान चमार, सियार की गाली व जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। घटना के दूसरे दिन हम लोगों की चोटों का डॉक्टरी मुआयना जहांगीरगंज अस्पताल में जरिये पुलिस हुआ था। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।''

14. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 6 कन्हैया उर्फ विपुल ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** ''मैं पढ़ा लिखा हू, चमार जाति का हूं। घटना दिनांक 11.06.2012 की है। शाम 08:00 बजे की है। मेरे गांव के परशुराम के घर पर शादी थी। उसी में एक दिन पहले हल्दी का कार्यक्रम था। वहां पर मेरे गांव के तमाम लोग इकट्ठा हुये थे। मैं भी मौके पर गया था। मेरे गांव के झारखण्डे को मेरे गांव के राजेश यादव, अनिल यादव, व रामअवध यादव लाठी डण्डा से मारने लगे। झारखण्डे का शोर गुल सुनकर मैं व मेरे गांव के अजय, सुनील, कंचन, अरूण उर्फ पप्पू

अमर, सरजू व फिरतू मौके पर पहुंचे तो उक्त अभियुक्तगण हम लोगों को चमार जाति की भद्दी भद्दी मां बहन की अपमानजनक गाली दिये व जान से मारने की धमकी देते हुये हम सभी को मारने पीटने लगे। हम लोगों को काफी चोटें आयी थी। बीच बचाव करने पहुंचे परशुराम उर्फ सिन्टू को भी अभियुक्तगण ने मारा पीटा। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। घटना मैंने अपनी आंखों से देखा था। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था। पुलिस ने मेरा मेडिकल सी0एच0सी0 जहांगीरगंज में कराया था।''

15. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 7 डॉ0 पी0एन0 यादव ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** ''दिनांक 16.06.2012 को चोटहिल अजय पुत्र धनराज निवासी मुडियारी, थाना राजेसुल्तानपुर को कां0 रामकेवल यादव थाना राजेसुल्तानपुर द्वारा एक्स–रे हेतु लाया गया था, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगंज के चिकित्सक द्वारा संदर्भित किया गया था। चोटहिल के दांये हाथ का एक्सरे, एक्सरे टेक्निीशियन द्वारा कराया गया था। चोटहिल के दांये अंगूठे के Proximal Phalanx में ताजी टूटन थी। एक्सरे रिपोर्ट कागज संख्या 9अ/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं तस्दीक करता हूं। एक्सरे रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 व एक्सरे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया।''

16. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 8 डॉक्टर उदयचन्द्र यादव ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** ''दिनांक–12.06.2012 को सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मैं चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनाँक को समय 02:05 पी.एम. पर मजरूब झारखण्डे पुत्र रामराज, निवासी ग्राम–मुड़ियारी थाना राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड पुजारी पाण्डेय द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के दाहिने गर्दन पर नीचे की तरफ काला तिल का निशान मौजूद था, जिसको निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब को फटा हुआ था, चोट की साइज 2X0.5 सेन्टीमीटर थी, जो बायें तरफ सिर पर भौंह से 06 सेन्टीमीटर ऊपर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट की प्रकृति सामान्य व ताजी थी।

चोट नम्बर–2 मजरूब को निलगू निशान था, जिसकी साइज 3X2 सेन्टीमीटर थी जो पीठ पर पीछे की तरफ नीचे की तरफ था, चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी।

चोट नम्बर–3 मजरूब को खरोच का निशान था, जिसकी साइज 2X1 सेन्टीमीटर थी, जो बायीं तरफ छाती पर नीप्पल से 09 सेन्टीमीटर नीचे था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुंचायी गयी थी । चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी।

चोट नम्बर–4 मजरूब को खरोंच के साथ निलगू निशान था, जिसकी साइज 5X2.5 सेन्टीमीटर थी, जो दाहिने तरफ अग्रबाहु पर कोहनी की जोड़ से 11 सेन्टीमीटर नीचे थी, चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी । चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी ।

चोट नम्बर–5 मजरूब को खरोच के साथ निलगू निशान था, जिसकी साइज 12X3 सेन्टीमीटर थी, जो बांयी जांघ पर बाहर की तरफ घुटने की जोड़ से 10 सेन्टीमीटर ऊपर थी। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8अ/1 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया ।

दिनाँक–12.06.2012 को समय 03:00 पी.एम. पर मजरूब सरजू पुत्र झपसी, निवासी उपरोक्त को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड पुजारी पाण्डेय द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के दाहिने कन्धे के अन्दर की तरफ काला तिल का निशान मौजूद था, जिसको निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब को निलगू निशान था, जिसकी साइज 5X3 सेन्टीमीटर थी जो बांये अग्रबाहु पर कलाई की जोड़ से 04 सेन्टीमीटर ऊपर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट की प्रकृति सामान्य व ताजी थी।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8अ/2 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया ।

दिनाँक–12.06.2012 को समय 02:25 पी.एम. पर मजरूब फिरतू पुत्र मनराज, निवासी ग्राम–मुड़ियारी थाना–राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड पुजारी पाण्डेय द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के दाहिने गाल पर काला तिल का निशान मौजूद था, जिसको निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब को फटा हुआ चोट था, जिसकी साइज 1X0.5 सेन्टीमीटर थी, जो दाहिने पैर पर सामने की तरफ घुटने से 16 सेन्टीमीटर नीचे था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट की प्रकृति सामान्य व ताजी थी।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8अ/3 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया ।

दिनाँक–12.06.2012 को समय 02.30 पी.एम. पर मजरूब सुनील पुत्र बालचन्द्र, निवासी ग्राम–मुड़ियारी थाना–राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड पुजारी पाण्डेय द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के दाहिने निचले होठ पर काला तिल का निशान मौजूद था, जिसको निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब को निलगू निशान था, जिसका रंग लाल था, जिसकी साइज 11X02 सेन्टीमीटर थी, जो दाहिने अग्रबाहु पर कोहनी के जोड़ से 05 सेन्टीमीटर नीचे था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट की प्रकृति सामान्य व ताजी थी।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8अ/4 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व

हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया ।

दिनाँक–12.06.2012 को समय 02:15 पी.एम. पर मजरूब कन्हैया पुत्र धनराज, निवासी ग्राम–मुड़ियारी थाना– राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड पुजारी पाण्डेय द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के बायें कान पर सामने की तरफ काला तिल का निशान मौजूद था, जिसको निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब को खरोंच का निशान था, जिसकी साइज 03X01 सेन्टीमीटर थी, जो बांयी तरफ कनपटी पर बांयी आंख से 01 सेन्टीमीटर की दूरी पर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट की प्रकृति सामान्य व ताजी थी।

चोट नम्बर–2 मररूब को खरोंच का निशान था, जिस की साइज 6X1 सेन्टीमीटर थी जो बायीं ऊपरी बांह पर कोहनी से 02 सेन्टीमीटर ऊपर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति व ताजी थी।

चोट नम्बर–3 मजरूब को खरोंच का निशान था, जिसकी साइज 3X1 सेन्टीमीटर थी, जो बांये कन्धे पर था, चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी व चोट सामान्य प्रकृति का थी।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8अ/5 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया ।

दिनाँक–12.06.2012 को समय 02:45 पी.एम. पर मजरूब अरूण कुमार पुत्र धनराज, निवासी ग्राम–मुड़ियारी थाना–राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड पुजारी पाण्डेय द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के दाहिने तरफ छाती पर कांख से 08 सेन्टीमीटर दूरी पर काला तिल का निशान मौजूद था, जिसको निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब को निलगू निशान था, जिसकी साइज 13X03 सेन्टीमीटर थी, जो लाल रंग की थी, जो दाहिने पखुरे पर ऊपरी भाग पर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट की प्रकृति सामान्य व ताजी थी।

चोट नम्बर–2 मजरूब को निलगू का निशान था, जिसकी साइज 10X4 सेन्टीमीटर थी, जिसका रंग लाल था जो बांयी पखुरे के बाहरी तरफ था, चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति व ताजी थी।

चोट नम्बर–3 मजरूब को निलगू निशान था, जिसकी साइज 7X3 सेन्टीमीटर थी, जिसका रंग लाल था, जो दाहिनी ऊपरी बांह पर कोहनी के जोड़ से 06 सेन्टीमीटर ऊपर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी व चोट सामान्य प्रकृति का था ।

चोट नम्बर–4 मजरूब को खरोच का निशान था, जिसकी साइज 2X1 सेन्टीमीटर थी, जो बांयी तरफ सिर पर आंख से 09 सेन्टीमीटर ऊपर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी व चोट सामान्य प्रकृति का था ।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8अ/6 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया ।

दिनाँक–12.06.2012 को समय 02:50 पी.एम. पर मजरूब अमर पुत्र धनश्याम, निवासी ग्राम–मुड़ियारी थाना–राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड पुजारी पाण्डेय द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के बांये गाल पर नाक से 03 सेन्टीमीटर की दूरी पर पर काला तिल का निशान मौजूद था, जिसको निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब को निलगू निशान था, जिसकी साइज 08X11 सेन्टीमीटर थी, जिसका रंग लाल था, जो दाहिनी ऊपरी बाह पर पीछे की तरफ कोहनी की जोड़ से 11 सेन्टीमीटर ऊपर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट की प्रकृति सामान्य व ताजी थी।

चोट नम्बर–2 मजरूब को निलगू का निशान था, जिसकी साइज 07X3 सेन्टीमीटर थी, जिसका रंग लाल था, जो दाहिने पीठ पर नीचे की तरफ था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8अ/7 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया ।

दिनाँक–12.06.2012 को समय 03:00 पी.एम. पर मजरूबा कंचन पुत्री धनराज, निवासी ग्राम–मुड़ियारी थाना–राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड पुजारी पाण्डेय द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूबा के दाहिने गर्दन पर नीचे की तरफ काला तिल का निशान मौजूद था, जिसको निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूबा को निलगू निशान था, जिस की साइज 05X03 सेन्टीमीटर थी, जिसका रंग लाल था, जो बांयी कोहनी पर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट की प्रकृति सामान्य व ताजी थी।

चोट नम्बर–2 मजरूबा को फटा हुआ घाव था, जिसकी साइज 02X0.5 सेन्टीमीटर थी, जो बांये पैर में सामने की तरफ घुटने की जोड़ से 12 सेन्टीमीटर नीचे था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी।

चोट नम्बर–3 मजरूबा को फटा हुआ घाव था, जिसकी साइज 02X0.5 सेन्टीमीटर का था, जिसकी गहराई हड्डी तक थी, जो दाहिने पैर में आगे की तरफ टखने की जोड़ से 12 सेन्टीमीटर ऊपर थी। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8अ/8 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया ।

दिनाँक–12.06.2012 को समय 02:35 पी.एम. पर मजरूब अजय पुत्र धनराज, निवासी ग्राम–मुड़ियारी थाना–राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड

पुजारी पाण्डेय द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के दाहिने गर्दन में नीचे की तरफ काला तिल का निशान मौजूद था, जिसको निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब को निलगू निशान था, जिसकी साइज 10X07 सेन्टीमीटर था, जिसका रंग लाल था, जो दाहिने हाथ की पंजे में ऊपर की तरफ था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट ताजी थी और प्रकृति जानने हेतु रेफर कर दिया गया था।

चोट नम्बर–2 मररूब को निलगू का निशान था, जिसकी साइज 06X03 सेन्टीमीटर था, जिसका रंग लाल था, जो घुटने की जोड़ से ठीक ऊपर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी।

चोट नम्बर–3 मजरूब को खरोच का निशान था, जिसकी साइज 5X2 सेन्टीमीटर था, जो बांयी तरफ सिर पर थी, जो आंख से 03 सेन्टीमीटर ऊपर थी, चोट कुन्दाले द्वारा पहुंचायी गयी थी, चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8अ/9 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया ।

नोट–मजरूब अजय पुत्र धनराज का चोट नम्बर–1 को दाहिने हाथ के एक्सरे के लिए व विशेषज्ञ सलाह के लिए जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया था।

17. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 9 अजय ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** ''घटना दिनांक 11.06.2012 शाम 08:00 बजे की है। मेरे गांव के परशुराम उर्फ सिंटू चमार के यहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था। गांव के तमाम लोग वहां मौजूद थे। मेरे गांव के झारखण्डे चमार को मेरे गांव के अभियुक्तगण अनिल यादव, राकेश यादव, श्रवण यादव व रामअवध लाठी डण्डा से मारपीट रहे थे। मैं झारखण्डे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा, मेरे साथ सुनील, कंचन, सरजू, फिरतू, कन्हैया आदि दौड़कर बचाने आये तो अभियुक्तगण हम लोगों को भी चमार सियार की गाली दिये, मां बहन की भद्दी भद्दी गाली व जान से से मारने की धमकी दिये। हम लोगों के शोर पर गांव के परशुराम बचाने आये तो अभियुक्तगण ने उन्हें भी मारा पीटा था। शोर सुनकर तमाम लोग आ गये तब अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। अभियुक्तगण के मारने से मुझे काफी चोटें आयी थी। पुलिस द्वारा मेरा मेडिकल सी0एच0सी0 जहांगीरगंज में कराया गया था। मेरा एक्स–रे जिला अस्पताल में हुआ था। मेरा दाहिना अंगूठा टूट गया था। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।''

18. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 10 कंचन ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** ''मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं चमार जाति की हूँ। घटना दिनाँक–11.06.2012 को सायं 08:00 बजे की है। मेरे मौसेरे भाई परशुराम के यहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था। मेरे मौसेरे भाई परशुराम के यहां मेरे गांव के झारखण्डे हरिजन भी आये हुए थे। वहीं पर अभियुक्तगण अनिल यादव, राजेश यादव, रामअवध यादव व श्रवण यादव मेरे घर पर आये और हम लोगों के सामने ही अभियुक्त अनिल यादव ने झारखण्डे को बुलाया और उसके बाद मेरे दरवाजे पर ही अभियुक्तगण

अनिल यादव, राजेश यादव, राम अवध यादव व श्रवण यादव ने झारखण्डे को लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे और जाति सूचक शब्द से गाली गुप्ता देने लगे और अभियुक्त अनिल यादव अपने हाथ में कट्टा भी लिये हुए थे। मैं, अरूण, अजय, अमर, कन्हैया व फिरतु, सुनील, सरजू बीच बचाव करने पहुचे तो अभियुक्तगण हम सभी लोगों को लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। तब हम लोगों ने हल्ला गुहार मचाया तो गांव के कोई लोग बीच बचाव करने नही पहुंचे थे। अभियुक्तगण हमें चमार सियार की गाली गलौज दिये थे और अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये थे। पुलिस द्वारा हम लोगों का मेडिकल परीक्षण सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में कराया गया था। सी.ओ. साहब मेरा बयान लिये थे।''

19. **अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 11 दीप नारायण आर्य ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** ''मु०अ०सं०–118/2012 थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकरनगर में दिनाँक–12.06.2012 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो तत्कालीन थाना प्रभारी के आदेश के अनुक्रम में मेरे द्वारा वादी मुकदमा परशुराम के प्रार्थना पत्र के आधार पर अक्षरशः मूल चिक एफ. आई.आर. किता किया गया था, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–6अ/1 मूल चिक एफ.आई. आर. है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–10अ/3 कायमी जी.डी. है, जो दिनाँक–12.06.2012 को मेरे द्वारा किता किया गया है, जो मेरे हस्तलेख में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया।'' दिनांक 22.12.2025 को पुनः साक्षी ने साक्ष्य दिया कि मैं दिनाँक–12.06.2012 को थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर में हेड मुहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उस समय सी.ओ. जियाउलहक क्षेत्राधिकारी आलापुर के पद कार्यरत थे, जिनकी वर्तमान समय में मृत्यु हो चुकी है। मैं सी.ओ. जियाउलहक के लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। उपरोक्त मुकदमे की नक्शा नजरी व आरोप पत्र सी.ओ. जियाउलहक के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ । नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–14 व आरोप पत्र पर प्रदर्श क–15 डाला गया । न्यायालय की अनुमति से मैंने उपरोक्त मुकदमे के विवेचक सी.ओ. जियाउलहक का द्वितीय साक्ष्य अंकित किया।''

<u>अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण व निष्कर्ष</u>

20. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें उनके द्वारा लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है तथा साक्षीगण द्वारा द्वारा गलत व झूठा साक्ष्य देने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा व अन्य लोग अभियुक्त अनिल यादव को मारे थे, जिसके संबंध में अनिल यादव ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, उसी से बचने व सरकारी लाभ लेने के लिये वादी मुकदमा ने यह फर्जी मुकदमा कायम किया है।

21. बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 56ब/1 से सरकार बनाम झारखण्डे सत्र परीक्षण संख्या 287/2014, एनसीआर संख्या 84/2012 थाना राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर में साक्षी पी0डब्लू0 1 अनिल यादव का बयान कागज संख्या 56ब/3 ता 56ब/5, साक्षी पी0डब्लू0 2 डॉ0 उदयचन्द्र यादव का बयान कागज संख्या 56ब/7 ता 56ब/9, साक्षी पी0डब्लू0 3 अवधेश कुमार का बयान कागज संख्या 56ब/11 ता 56ब/13,

साक्षी पी0डब्लू0 4 रामसूरत का बयान कागज संख्या 56ब/15 ता 56ब/17, साक्षी पी0डब्लू0 5 दीप नरायण आर्य का बयान कागज संख्या 56ब/19 ता 56ब/20, कागज संख्या 56ब/22 मजरूबी चिट्टी अनिल यादव व मेडिकल रिपोर्ट मजरूबी चिट्टी के पृष्टभाग पर, कागज संख्या 56ब/24 आरोप पत्र, कागज संख्या 56ब/26 नक्शा नजरी एन.सी.आर. संख्या 84/2012 थाना राजेसुल्तानपुर तथा कागज संख्या 56ब/27 से एन.सी.आर. संख्या 84/2012 की सत्यप्रतिलियों को दाखिल किया गया है।

22. विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सविस्तार सुने गए। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

23. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोग कथानक का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियोग कथानक पूर्णतः साबित है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व अन्य को एक राय होकर साशय मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई तथा उन्हें गाली—गलौज देकर अपमानित किया गया है एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और आपराधिक बल का प्रयोग करके उनपर हमला किया तथा वादी मुकदमा व अन्य को अनुसूचित जाति का जानते हुये उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिये जातिसूचक गालियां दी गई। अभियुक्तगण द्वारा चोटहिल अजय को मारपीट कर उसके दाहिने हाथ के अंगूठे में Proximal Phalanx फ्रैक्चर कारित किया गया। अभियोजन पक्ष अपने साक्षीगण के बयानों से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित किये गए आरोप साबित हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

24. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्तगण निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। उनके साक्ष्य में काफी विरोधाभाष है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं, दोषमुक्त किया जाये।

25. मैंने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

26. अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु कुल 11 गवाह परीक्षित कराये हैं।

27. अभियोजन कथानक को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष के गवाहों पर होता है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन अपने अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहा है, अथवा नहीं।

28. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 अरूण कुमार परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा मुख्यपरीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घ

ाटना दिनांक 11.06.2012 की है। रात 08:00 बजे का समय था। परशुराम की शादी थी। मैं व झारखण्डे परशुराम के यहां निमंत्रण में गये थे। उसके बाद अनिल यादव आये और झारखण्डे को बुलाकर बगल में मड़हा के पास ले गये। वहां पर अनिल, रमेश, श्रवण यादव, रामअवध लाठी डण्डा, लात मूका से झारखण्डे को मारने लगे तथा कहे कि चमार साले मादरचोद बुलाने पर सुन नहीं रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात है। मारने पर झारखण्डे चिल्लाये। शोर सुनकर मैं, अरूण, अमर, अजय, विपुल कुमार, सुनील, रामअचल, सरजू, कंचन आदि लोग पहुंचे। मुल्जिमान ने सभी लोगों को लाठी डण्डे से मारा पीटा। मुल्जिमान के मारने से मुझे, अजय, झारखण्डे, कंचन, अमर उर्फ उपेन्द्र, सुनील, रामअचल, सरजू प्रसाद, विपुल को चोटें आयी। मुल्जिमान धमकी दिये कि अगर थाने गये तो गोली मार देंगे। मुल्जिमान जाति के यादव हैं। रात में थाने गये थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दरोगा जी कहे कि सुबह आओ, सुबह रिपोर्ट लिखी जायेगी। सुबह थाना राजेसुल्तानपुर में परशुराम ने तहरीर देकर रिपोर्ट लिखायी। पुलिस ने सभी चोटहिलों का डॉक्टरी मुआयना जहांगीरगंज सी0एच0सी0 में कराया था। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था। डॉक्टर ने अजय को दाहिने हाथ का एक्सरे कराने हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हथेली की हड्डी टूटी थी।'' **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने साक्ष्य दिया है कि परशुराम के घर शादी होने वाली थी। ...अनिल यादव ने झारखण्डे को बुलाया। उस समय झारखण्डे के पास अजय, अमर और सात आठ लोग बैठे थे। अनिल ने कहा कि झारखण्डे इधर आओ। बुलाने पर झारखण्डे अनिल के पास चले गये। ......अनिल यादव बुलाने आये थे। उस समय उनके हाथ में डण्डा था।.... मारपीट वाला स्थान बाग है। वह बाग राजेश भारती की है। शोर पर हम लोग वहां पहुंचे थे। हम लोग झगड़ा छुड़ा रहे थे। ये चारों लोग मार रहे थे। ये चारों लोग झारखण्डे को मारे, उसके बाद हम लोगों को भी मारने लगे।....हम लोगों के पहुंचने के पूर्व से अभियुक्तगण झारखण्डे को मार रहे थे। झारखण्डे चिल्लाकर कह रहा था अनिल मुझे मार रहे है, बचाओ, मुझे छुड़ाओ। लगभग 20 मिनट तक मारपीट हुई थी। सभी चोटहिल थाने पर गये थे। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने जिरह के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उद्घाटित नहीं हुआ है जिससे अभियोजन कथानक दूषित हो। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

29. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 2 झारखण्डे परीक्षित हुये हैं। यह साक्षी चोटहिल साक्षी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा अपनी मुख्यपरीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 11.06.2012 की है। 08:00 बजे रात का समय था। परशुराम के घर परशुराम की शादी थी। अनिल यादव मुझे बुलाकर ले गये। मुझसे कहे कि कुछ काम है, सुन लो। मैं चला गया तब परशुराम के घर के उत्तर मड़हे की आड़ में मुझे लाठी डण्डे से मारने लगे। मेरे शोर पर मेरे भाई अरूण, अजय, उपेन्द्र, कन्हैया, सरजू, रामअचल, कंचन दौड़कर आये और मुल्जिमान के घर के रामअवध, राकेश, व श्रवण कुमार आ गये और लाठी डण्डा से हम लोगों को मारने लगे। हम लोग निहत्थे थे। मुझे जो बचाने आये थे, मुल्जिमान ने उन्हें भी मारा पीटा। मुल्जिमानों के मारने से मुझे, सरजू, फिरतू, सुनील, कन्हैया, अरूण कुमार उर्फ पप्पू,

अमर, कंचन व अजय को चोटें आयीं। हम लोगों के शोर पर तमाम लोग आ गये तब मुल्जिमान चमार, सियार, मादरचोद कहते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। घटना के बाद हम लोग थाना राजेसुल्तानपुर आये। थाना राजेसुल्तानपुर की पुलिस ने हम लोगों की चोटों का डॉक्टरी मुआयना जहांगीरगंज सरकारी अस्पताल में कराया था। मुल्जिमानों के मारने से अजय कुमार के दाहिने हाथ का अंगूठा टूट गया था। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने साक्ष्य दिया है कि परशुराम मेरी मौसी के लड़के हैं।... दिनांक 11.06.2012 को मेरी मुलाकात अनिल से दो बार हुई थी। एक बार साबिकपुर में हुई थी। एक बार जब मैं परशुराम के घर गया था तब हुई थी।... अनिल के पहुंचने से पहले रस्म शुरू नहीं हुई थी, शुरू होने वाली थी। इस प्रकार इस साक्षी ने कथित घटना के दिन अनिल से मुलाकात होने के तथ्य को स्वीकार किया है। आगे जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 11.06.2012 को मैं थाने कब पहुंचा था, समय याद नहीं है। थाने पर सभी लोग गये थे। हम लोग थाने में करीब डेढ़ घण्टे रहे होंगे। थाने से हम लोग पुनः घर चले आये।...उसके बाद फिर सुबह थाने गये थे। दूसरे दिन करीब 9 बजे थाने पहुंचे थे। पहले दिन थाने पर कुछ नहीं किये थे। दूसरे दिन थाने पर दरख्वास्त दिये। थाने से फिर डॉक्टरी कराने गये। ...अनिल यादव ने मेरे ऊपर भी मारपीट का मुकदमा कायम कराया है। इसकी जानकारी मुझे है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने परिसाक्ष्य से जैसा अभियोजन कथानक है, उसका समर्थन किया गया है। इस साक्षी द्वारा घटना स्थल पर अभियुक्त अनिल यादव की उपस्थिति को साबित किया है तथा इस तथ्य को भी साबित किया गया है कि मुल्जिमानों द्वारा मामले के चोटहिलों को उपहति कारित की गई। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक दूषित हो। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

30. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 3 वादी मुकदमा परशुराम परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। यह साक्षी वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 11.06.2012 की है। शाम 8:00—8:30 बजे का समय था। मेरी शादी थी। प्रोग्राम चल रहा था। झारखण्डे के शोर पर मैं, अरूण, उपेन्द्र, सरजू प्रसाद, फिरतू, सुनील, कंचन, कन्हैया, अमर, अजय आदि लोग पहुंचे। उधर से अनिल, रामअवध, श्रवण, राजेश आ गये। सभी मुल्जिमान मिलकर हम लोगों को मारना शुरू कर दिये। मुल्जिमानों के मारने से मुझे, झारखण्डे, सरजू, फिरतू, सुनील, कन्हैया, अरूण उर्फ पप्पू, अमर व कंचन को चोटें आयी। मुल्जिमान मादचोद, बहनचोद, चमरकुट्टी की गाली दे रहे थे। जब हम लोग पहुंचे तो अनिल, झारखण्डे को मार रहे थे। हम लोग छुड़ाने लगे तब सभी मुल्जिमान ने मिलकर हम लोगों को लाठी डण्डा से मारा पीटा। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये घ ार तक दौड़ाये। विजय प्रकाश से मैंने बोलकर तहरीर लिखायी थी। तहरीर मैंने घटना के दूसरे दिन सुबह थाना राजेसुल्तानपुर में देकर रिपोर्ट दर्ज कराया था। रिपोर्ट लिखाने सभी चोटहिलों को साथ लेकर गया था। सभी चोटहिलों का डॉक्टरी मुआयना पुलिस द्वारा जहांगीगंज सरकारी अस्पताल में कराया गया था। मुल्जिमान के मारने से अजय का दाहिने अंगूठा टूट गया था।

प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं दिनांक 11.06.2012 को अपने घर पर ही था।....दिनांक 11.06.2012 को मैं थाने में करीब 09:00 बजे पहुंचा था। तहरीर मेरे हस्तलेख में नहीं है। तहरीर विजय प्रकाश से लिखवाकर थाने में दिया था।...थाने जब मैं गया था तो मेरे साथ झारखण्डे, अरूण कुमार, अजय, कन्हैया, उपेन्द्र, सुनील कुमार, फिरतू, कंचन, सरजू प्रसाद आदि लोग गये थे। मैं झगड़ा होने के एक मिनट में घटना स्थल पर पहुंचा था। घटना स्थल मेरे घर से 30 मीटर दूरी पर है जो पूरब दिशा में स्थित है।....अजय का अंगूठा टूटा था। कंचन को दोनों पैर में लगी थी। फिरतू के पैर में लगी थी। आदि लोगों को भी चोटें आयी थी। मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह के साक्ष्य से चोटहिलों को चोटें आना तथा घटना देखना व घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति को साबित किया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने परिसाक्ष्य से जैसा अभियोजन कथानक है, उसका समर्थन किया गया है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक दूषित हो। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

31. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 4 उपेन्द्र कुमार उर्फ अमर परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 11.06.2012 की है। मेरी मौसी के लड़के परशुराम की शादी थी। अनिल यादव आये और झारखण्डे को बुलाकर ले गये। झारखण्डे के शोर पर हम लोग पहुंचे तो देखा कि झारखण्डे का सिर फटा था। अनिल, लखन, राजेश, लालदेव, रामअवध लाठी डण्डा से अनिल को मार रहे थे। मैं, अरूण, अजय, कन्हैया, झारखण्डे, सरजू, सुनील, फिरतू, कंचन बीच बचाव करने पहुंचे तो मुल्जिमान ने हम लोगों को भी लाठी डण्डा से मारा पीटा। मारते समय मुल्जिमान भोसड़ी, चमार साले मादरचोद की गाली दे रहे थे। जब हम लोग जान बचाकर घर की तरफ भागे तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये हम लोगों को दौड़ा लिये। उस समय जनरेटर की लाइट में मुल्जिमान को पहचाना। घटना के बाद सुबह हम लोग थाना राजेसुल्तानपुर गये। परशुराम ने थाने में रिपोर्ट लिखायी। हम लोगों की चोटों का डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल में हुआ था। अजय के दाहिने हाथ का अंगूठा टूटा गया था। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 11.06.2012 को मैं हल्दी की रस्म में बैठा था। हल्दी परशुराम की हो रही थी। मैं अनिल यादव को जानता हूं।......घटना वाले दिन मेरी अनिल से मुलाकात हुई थी। अनिल यादव से मेरी मुलाकात जब मारपीट हो रही थी तभी हुई थी। अनिल यादव के अलावा रामअवध, लालदेव, व राजेश से मुलाकात हुई थी।...झारखण्डे मेरे बड़े दादा के लड़के हैं।...घटना घर के सामने बाग में हुई थी। बाग से अनिल यादव का घर 50 मीटर की दूरी पर है। घटना वाले दिन मैं कितने बजे थाने गया था, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने घड़ी नहीं देखी थी। घटना रामअवध के घर के बगल बाग में हुई थी।...दूसरे दिन थाने पर हम लोग 12 बजे तक रहे। उसके बाद मेडिकल के लिये जहांगीरगंज सरकारी अस्पताल गये थे।...दरोगा जी मेरा बयान लिये थे। इस प्रकार यह साक्षी घटना स्थल पर उपस्थित था। इसके द्वारा बीच बचाव किया तब मुल्जिमान द्वारा इस साक्षी के साथ भी मारपीट की गई। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने परिसाक्ष्य से जैसा

अभियोजन कथानक है, उसका समर्थन किया गया है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक दूषित हो।

32. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 5 सुनील कुमार परीक्षित हुये है। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 11.06.2012 की है। रात 08:00 बजे का समय था। मैं परशुराम के घर उस समय मौजूद था। अनिल यादव, झारखण्डे को बुलाकार बाग में मड़ई के पास ले गये। थोड़ी देर बाद झारखण्डे के चिल्लाने की आवाज आयी तो मैं, उपेन्द्र, सरजू, अजय, कंचन, पप्पू, रामअचल उर्फ फिरतू, कन्हैया उर्फ विपुल आदि लोग पहुंचे। हम लोगों ने देखा कि झारखण्डे को अनिल, रमेश यादव, राजेश, रामअवध और श्रवण लाठी डण्डा से मार रहे थे और गाली दे रहे थे कि चमार कुट्टी की जात, साले मादरचोद इस समय सपा की सरकार है, कुछ नहीं होगा। हम लोग बीच बचाव करने लगे तब सभी मुल्जिमान ने मुझे, अजय, कंचन, अरूण कुमार उर्फ पप्पू, अमर, कन्हैया, सरजू, फिरतू को भी लाठी डण्डा से मारा पीटा। मुल्जिमानों के मारने पीटने से हम सभी को चोटें आयी और अजय का दाहिने हाथ का अंगूठा टूट गया। हम लोगों के शोर पर परशुराम बीच बचाव करने पहुंचे तो मुल्जिमान परशुराम को भी चमार, सियार की गाली देते हुये मारने के लिये दौड़ा लिये। गांव के बहुत लोग आ गये थे तब मुल्जिमान चमार सियार की गाली देते हुये व जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। घटना के दूसरे दिन हम लोगों की चोटों का डॉक्टरी मुआयना हुआ था। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने जिरह के पेज 3 पर कथन किया है कि मैं घटना स्थल पर 9 लोगों के साथ पहुंचा था। घटना स्थल पर रामअवध मार होने के तुरन्त बाद आ गये थे। श्रवण पढ़ाते हैं, कहां पढ़ाते हैं जानकारी नहीं है। श्रवण भी घटना स्थल के तुरन्त बाद आये थे। इस प्रकार इस साक्षी ने रामअवध व श्रवण अभियुक्तगण की घटना स्थल पर उपस्थित को साबित किया है। जिरह में यह भी कथन किया है कि राजेश से मेरी मुलाकात घटना के दिन मारपीट के समय हुई थी। राजेश को चोट आयी थी कि नहीं मैं नहीं बता सकता।.....मेरा मेडिकल होने में आधा घण्टा लगा था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने परिसाक्ष्य से जैसा अभियोजन कथानक है, उसका समर्थन किया गया है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक दूषित हो। यह साक्षी चोटहिल साक्षी है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

33. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 6 कन्हैया उर्फ विपुल परीक्षित हुये है। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 11.06.2012 की है। मेरे गांव के परशुराम के घर पर शादी थी। मेरे गांव के झारखण्डे को मेरे गांव के राजेश यादव, अनिल यादव, व रामअवध यादव लाठी डण्डा से मारने लगे। झारखण्डे का शोर गुल सुनकर मैं व मेरे गांव के अजय, सुनील, कंचन, अरूण उर्फ पप्पू अमर, सरजू व फिरतू मौके पर पहुंचे तब उक्त अभियुक्तगण हम लोगों को चमार जाति की भद्दी भद्दी मां बहन की अपमानजनक गाली दिये व जान से मारने की धमकी देते हुये हम सभी को मारने पीटने लगे। हम लोगों को काफी चोटें आयी थी। बीच बचाव करने पहुंचे परशुराम उर्फ

सिन्टू को भी अभियुक्तगण ने मारा पीटा। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। घटना मैंने अपनी आंखों से देखा था। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं परशुराम के यहां शादी में गया था।.....अस्पताल में मेरी डॉक्टरी हुई थी। घटना स्थल से परशुराम का घर 50 से 100 मीटर है। मुझे बांये पैर में चोट लगी थी। बांये हाथ में चोट लगी थी। आंख के ऊपर चोट लगी थी और शरीर में कई जगह चोट लगी थी। मारपीट लगभग आधा एक घण्टा हुई थी। इस आधे घण्टे में हम ही लोग मार खाये थे। इस प्रकार कथित घटना स्थल पर इस साक्षी ने अपनी उपस्थिति को पुष्ट किया है। यह साक्षी चोटहिल साक्षी है। इस साक्षी द्वारा अपने परिसाक्ष्य से जैसा अभियोजन कथानक है, उसका समर्थन किया गया है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक संदेहजनक हो। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

34. अभियोजन की ओर से तथ्य की अन्य पी0डब्लू0 9 अजय परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 11.06.2012 की है। मेरे गांव के परशुराम उर्फ सिंटू चमार के यहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था। मेरे गांव के झारखण्डे चमार को मेरे गांव के अभियुक्तगण अनिल यादव, राकेश यादव, श्रवण यादव व रामअवध लाठी डण्डा से मारपीट रहे थे। मैं झारखण्डे की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा। मेरे साथ सुनील, कंचन, सरजू, फिरतू, कन्हैया आदि दौड़कर बचाने आये तो अभियुक्तगण हम लोगों को भी चमार सियार की गाली दिये, मां बहन की भद्दी भद्दी गाली व जान से से मारने की धमकी दिये। हम लोगों के शोर पर गांव के परशुराम बचाने आये तो अभियुक्तगण ने उन्हें भी मारा पीटा था। शोर सुनकर तमाम लोग आ गये तब अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। अभियुक्तगण के मारने से मुझे काफी चोटें आयी थी। पुलिस द्वारा मेरा मेडिकल सी0एच0सी0 जहांगीरगंज में कराया गया था व मेरा एक्स–रे जिला अस्पताल में हुआ था। मेरा दाहिना अंगूठा टूट गया था। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन परशुराम के घर पर शादी थी।...मेरी मुलाकात अनिल से परशुराम के घर घटना के समय ही हुई थी। पहले अनिल अकेले आये थे।..अनिल के आने के बाद 15 मिनट बाद अन्य मुल्जिम आये थे।...जिस समय झगड़ा हुआ था। उस समय मौके पर कोई नहीं था। उन लोगों का झगड़ा 10–5 मिनट रहा होगा। ..अनिल से इस मुकदमें का क्रास चल रहा है। इस न्यायालय में चल रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यह साक्षी चोटहिल साक्षी है। इस साक्षी द्वारा घटना स्थल पर अपनी व अभियुक्तगण की उपस्थिति को पुष्ट किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी कथित घटना होने का समर्थन किया है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक संदेहजनक हो।

35. अभियोजन तथ्य की साक्षी पी0डब्लू0 10 कंचन परीक्षित हुई है। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनॉंक–11.06.2012 को सायं 08:00 बजे की है। मेरे मौसेरे भाई परशुराम के यहां शादी का क्रार्यक्रम चल रहा था। मेरे मौसेरे भाई परशुराम के यहां मेरे गांव के झारखण्डे हरिजन भी आये हुए

थे। वहीं पर अभियुक्तगण अनिल यादव, राजेश यादव, रामअवध यादव व श्रवण यादव मेरे घर पर आये और हम लोगों के सामने ही अभियुक्त अनिल यादव ने झारखण्डे को बुलाया और उसके बाद मेरे दरवाजे पर ही अभियुक्तगण अनिल यादव, राजेश यादव, राम अवध यादव व श्रवण यादव ने झारखण्डे को लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे और जाति सूचक शब्द से गाली गुप्ता देने लगे और अभियुक्त अनिल यादव अपने हाथ में कट्टा भी लिये हुए थे। मैं, अरूण, अजय, अमर, कन्हैया व फिरतु, सुनील, सरजू बीच बचाव करने पहुचे तो अभियुक्तगण हम सभी लोगों को लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे। अभियुक्तगण हमें चमार, सियार की गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये थे। पुलिस द्वारा हम लोगों का मेडिकल परीक्षण सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में कराया गया था। सी.ओ. साहब मेरा बयान लिये थे।'' **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन शादी का कार्यक्रम था।...अमर, अरूण, कन्हैया, अजय, फिरतू व सुनील सब मेरे भाई लगते हैं। मैं घटना स्थल पर 8:00 बजे पहुंची थी। सबसे पहले कहा सुनी झारखण्डे व अनिल के बीच हुई थी। .....मैं घटना स्थल से घर नहीं गई थी, मैं घटना स्थल पर ही थी। घटना के अगले दिन थाने गयी थी। मेरे साथ अमर, अरूण, कन्हैया, अजय, फिरतू, व सुनील थाने गये थे।...थाने पर प्रार्थना पत्र परशुराम व झारखण्डे ने दिया था।.....थाने के बाद मेडिकल कराने कहां गई थी नाम याद नहीं है, फिर कहा मेडिकल कराने जहांगीरगंज गई थी। मैं जहांगीरगंज मेडिकल कराने दिनांक 12.06.2012 को समय 03 बजे पहुंची थी। मुझे चोट केवल अभियुक्त अनिल द्वारा पहुंचायी गयी थी..मारपीट दोनों तरफ से नहीं हो रही थी, वो लोग मार रहे थे। घटना स्थल पर मैं गिर गई थी, अजय भी गिरे थे, कन्हैया भी गिरे थे।....चोट मेरे दोनों पैर में लगी थी। मुझे सरकार से सरकारी अनुदान मिला था। दरोगा जी मेरी मुलाकात थाना राजेसुल्तानपुर में हुई थी।...बीच बचाव करने वालों को भी चोट आयी थी। घटना स्थल पर मुल्जिमान बहुत देर तक थे।...मुझे नहीं पता है कि मुल्जिमानों को चोटें आयी थी की नहीं। इस प्रकार इस साक्षी ने मुल्जिम अनिल द्वारा स्वयं को चोट पहुंचाने के तथ्य को साबित किया है तथा घटना स्थल पर अपनी उपस्थित को भी साबित किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी कथित घ ाटना होने का समर्थन किया है। यह साक्षी चोटहिल साक्षी है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उद्भूत नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक संदेहजनक हो। इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

36. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 7 डॉ0 पी0एन0 यादव को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा दिनांक 16.06.2012 को चोटहिल अजय पुत्र धनराज निवासी मुडियारी, का एक्स–रे हेतु एक्सरे टेक्निीशियन द्वारा कराया गया था। चोटहिल के दांये अंगूठे के Proximal Phalanx में ताजी टूटन थी। इस साक्षी द्वारा एक्सरे रिपोर्ट कागज संख्या 9अ/1 अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया गया है तथा एक्सरे रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 व एक्सरे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में साबित किया है। **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि एक्सरे फ्रैक्चर में ताजी टूटन पायी गई, जोकि तीन सप्ताह के अन्दर कभी की भी हो सकती है। एक्सरे रिपोर्ट में समय नहीं दर्शाया गया है। केवल दिनांक दर्शाया गया है। यह टूटन गिरने से भी आना संभव है। किन्तु

इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे चोटहिल अजय को आयी चोट जिसकी एक्सरे रिपोर्ट इस साक्षी द्वारा साबित की गई है वह किसी अन्य प्रकार से आयी हो, मात्र यह संभावना व्यक्त की है कि ऐसी चोट गिरने से भी आ सकती है, किन्तु अभियोजन के उपरोक्त साक्षीगण व स्वयं चोटहिल द्वारा अपने साक्ष्य से इस तथ्य को साबित किया गया है कि मुल्जिमान के मारने से अजय को चोटें आयी।

37. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 8 डॉ0 उदयचन्द्र यादव परीक्षित हुये हैं, जिनके द्वारा दिनांक 12.06.2012 को सी.एच.सी. जहांगीरगंज पर मुकदमें के चोटहिलों का मेडिकल परीक्षण किया जाना पुष्ट किया है तथा मुकदमें के चोटहिल झारखण्डे की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–3, चोटहिल सरजू की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–4, चोटहिल फिरतू की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–5, चोटहिल सुनील की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–6, चोटहिल कन्हैया की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–7, चोटहिल अरूण कुमार की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–8, चोटहिल अमर की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–9, चोटहिल कंचन की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–10 तथा चोटहिल अजय की मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी द्वारा मजरूब अजय पुत्र धनराज की चोट नम्बर 1 को दाहिने हाथ के एक्सरे के लिये व विशेषज्ञ सलाह के लिये जिला अस्पताल रेफर किया किये जाने को भी पुष्ट किया गया है। यह साक्षी चिकित्सक साक्षी है, जिसके द्वारा मेडिकल प्रपत्रों को साबित किया गया है। अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण/चोटहिलों को आयी चोटें को इस विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा अपने साक्ष्य से पुष्टि किया गया है जिससे भी अभियोजन कथानक पुष्ट होता है।

38. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 11 दीप नरायण मौर्य परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी द्वारा मूल चिक एफ.आइ.आर. को प्रदर्श क–12 व कायमी जी0डी0 को प्रदर्श क–13 के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी द्वारा द्वितीय साक्षी के रूप में मामले के विवेचक जियाउलक द्वारा तैयार की घटना स्थल की नक्शा नजरी व आरोप पत्र को उनके लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया गया है। नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–14 व आरोप पत्र पर प्रदर्श क–15 डाला गया है। यह साक्षी पुलिस का औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा पुलिस प्रपत्रों की सत्यता को प्रमाणित किया गया है।

39. प्रस्तुत प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जोकि पूरे भारत में लागू है। यह कानून विशेष रूप से सार्वजनिक दृश्यों (पब्लिक व्यू) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले जाति आधारित अपमान, शारीरिक शोषण एवं सम्पत्ति के मामले में प्रभावी है, जहां अपराध गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। यह अपराध केलव तब माना जाता है, जब वह सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने या सार्वजनिक स्थान पर किया गया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना सार्वजनिक दृश्यों के सम्बन्ध में घटना–स्थल पर दोनों पक्षों के लोग उपस्थित होने की साक्ष्य दी गई है तथा विशेष जातिसूचक गालियां दिया जाना अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के साक्ष्य से पुष्ट हो रहा है।

40. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि साक्षियों के बयानों में पारस्परिक

विरोधाभास है और साक्षियों के बयान में एकरूपता नहीं होने से अभियोजन पक्ष का कथानक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जिसका सम्पूर्ण लाभ अभियुक्तगण को दिया जावे।

41. प्रकरण की घटना प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है। ऐसी स्थिति में जो विरोधाभास आये हैं, वह मामूली प्रकृति के हैं, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक दूषित नहीं होता है। बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क बलहीन है। इस स्तर पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार गर्ग बनाम राज्य एन.सी.टी. दिल्ली (2020) 2 सुप्रीम कोर्ट 88** और **मुस्ताक बनाम राज्य गुजरात (2020) 7 एस.सी.सी. 237** के प्रकरणों में अवधारित विधि–व्यवस्था का उल्लेख किया जाना समीचीन पाता हूँ।

42. उपरोक्त प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अगर अभियोजन साक्षियों के बयानों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, तो साक्षियों के बयान को मामूली विरोधाभास के आधार पर उनके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई समुचित आधार नहीं है। इसी प्रकार **भगवान जगन्नाथ मरकट बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) 10 एस.सी.सी. 537** के प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि साक्षियों के बयान में मामूली अन्तर आना स्वाभाविक है और यह उसकी सत्यता को इंगित करता है। उपरोक्त विधि–व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से यह प्रकट होता है कि मामले का तथ्य के साक्षी वादी मुकदमा व व अन्य चोटहिल ग्रामीण परिवेश के रहने वाले कम पढ़े–लिखे व्यक्ति प्रतीत होते हैं और वे कानून की बारीकियों से अनभिज्ञ हैं। ऐसी स्थिति में घटना के सम्बन्ध में उनके बयान में मामूली भिन्नतायें आना स्वाभाविक है। लेकिन पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य में कोई ऐसी महत्वपूर्ण असमानता या भिन्नता नहीं पायी गयी है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को झूठा या अविश्वसनीय माना जा सके। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी बलहीन है।

43. यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण का क्रास केस भी इसी न्यायालय में सरकार बनाम झारखण्डे एन.सी.आर. संख्या 84/2012 विचाराधीन है। दोनों प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट व अभियोजन कहानी का अवलोकन करने से विदित है कि दोनों प्रकरण की घटना दिनांक 11.06. 2012 की होना दर्शित है तथा दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना राजेसुल्तानपुर पर दिनांक 12.06.2012 को पंजीकृत करायी गई है, जिससे भी इस तथ्य को बल मिलता है कि कथित घटना कारित हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक को अपने साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया है तथा तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य की पुष्टि पुलिस के औपचारिक साक्ष्य से एवं चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है।

44. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह तथ्य सम्पुष्ट है कि अभियोजन पक्ष के साक्षीगण द्वारा कथित घटना के दिनाक, समय पर स्थान पर प्रकरण के चोटहिलों को एक राय होकर साशय मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की किया गया तथा उन्हें गाली–गलौज देकर अपमानित किया गया है जिससे लोकशांति भंग होने अंदेशा उत्पन्न हुआ एवं उन्हें जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और आपराधिक बल का

प्रयोग करके उनपर हमला किया तथा वादी मुकदमा व अन्य को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुये उन्हें सार्वजनिक रूप से व स्थान पर अपमानित करने के लिये जातिसूचक गालियां दी गई तथा चोटहिल अजय को मारपीट कर उसके दाहिने हाथ अंगूठे में Proximal Phalanx फ्रैक्चर कारित किया गया। इस प्रकार अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव** धारा–323/34,325/34,352,504,506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किये जाने योग्य हैं।

आदेश

45. अभियुक्तगण अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव को धारा–323/34,325/34, 352, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

46. अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अतः उनके स्व–बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु अभिरक्षा में लिया जाये।

47. पत्रावली दोषसिद्ध अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांकः–07.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.1874

लंचबादः–

48. पत्रावली लंच बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। दण्ड के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

49. अभियोजन पक्ष द्वारा कहा गया कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा वादी पक्ष के चोटहिल झारखण्डे, सरजू, फिरतू, सुनील, कन्हैया, अरूण कुमार, अमर, कंचन व अजय को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया गया, चोटहिल अजय का दाहिने हाथ के अंगूठे की हड्डी Proximal Phalanx में फ्रैक्चर कर उपहति कारित किया गया। वादी मुकदमा व अन्य को भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा आपराधिक बल का प्रयोग

करके गम्भीर और अचानक प्रकोपन कारित किया गया। वादी मुकदमा व अन्य को जातिसूचक शब्दों से लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया गया। ऐसे में दोषसिद्ध अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

50. बचाव पक्ष द्वारा कहा गया कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण पर अपने परिवार के भरण–पोषण की जिम्मेदारी है। अभियुक्तगण के अलावा उनके घर में कोई अन्य कमाने वाला नहीं है और न ही पैरवी करने वाला है। अतः अभियुक्तगण को कम से कम सजा दी जाये।

51. बचाव पक्ष एवं विशेष लोक अभियोजक को दण्ड के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

52. दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा वादी पक्ष के चोटहिल झारखण्डे, सरजू, फिरतू, सुनील, कन्हैया, अरूण कुमार, अमर, कंचन व अजय को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया गया, चोटहिल अजय का दाहिने हाथ के अंगूठे की Proximal Phalanx में फ्रैक्चर कर उपहति कारित किया गया। वादी मुकदमा व अन्य को भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा आपराधिक बल का प्रयोग करके गम्भीर और अचानक प्रकोपन कारित किया गया। वादी मुकदमा व अन्य को जातिसूचक शब्दों से लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से गालियां देकर अपमानित किया गया।

53. अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अग्रलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे न्याय के उद्‌देश्य की पूर्ति हो सके।

<u>दण्डादेश</u>

54. अभियुक्तगण अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव को धारा–323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध के आरोप में **एक–एक वर्ष** के साधारण कारावास के दण्ड से एवं रूपया 1000/–1,000/–(एक–एक हजार) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा 10–10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

55. अभियुक्तगण अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव को धारा–325/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध के आरोप में **तीन–तीन वर्ष** के साधारण कारावास के दण्ड से एवं रूपया 3000/–3000/– (तीन–तीन हजार) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा **तीन–तीन मास** का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

56. अभियुक्तगण अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव को धारा–352 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध के आरोप में **तीन–तीन मास** के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

57. अभियुक्तगण अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव को धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध के आरोप में **एक–एक वर्ष**

के साधारण कारावास के दण्ड से एवं 1000–1000/–(एक–एक हजार) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 10–10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

58. अभियुक्तगण अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव को धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध के आरोप में **दो–दो वर्ष** के साधारण कारावास के दण्ड से एवं रूपया 1000–1000/–(एक–एक हजार) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा 10–10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

59. अभियुक्तगण अनिल यादव, रामअवध यादव, श्रवण कुमार यादव व राजेश कुमार यादव को धारा–3(1)X अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के आरोप में **तीन–तीन वर्ष** के साधारण कारावास व प्रत्येक को मु0 **तीन–तीन** हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा **तीन–तीन मास** का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

60. सभी दण्ड साथ–साथ प्रचलित होंगे तथा अभियुक्तगण द्वारा दौरान विचारण कारागार में बितायी गई अवधि, सजा में नियमानुसार समायोजित की जाएगी।

61. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए तथा अभियुक्तगण को तद्नुसार दण्ड भोगने हेतु अधिपत्र कारागार प्रेषित हो।

62. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–365 के प्राविधानों के तहत इस निर्णय की एक प्रति आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर को प्रेषित की जाए।

दिनांकः–07.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.1874

आज, निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–07.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.1874